

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

ड० कु० 1852
आगत न० 16.12.14
दिनांक

पत्रांक- 9/उपा/बीज(विविध)-32/2014

5509 /कृ०, पटना दिनांक 05-12-2014

प्रेषक,

विश्वनाथ चौधरी,
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

#द्वारा - वित्त विभाग।

विषय -

बिहार राज्य बीज निगम को बीज भंडारण तथा प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए 5422 लाख रुपये (चौवन करोड़ बाईस लाख रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से अनुसूचित जाति के लिए तत्काल 41 लाख रुपये (इकतालीस लाख रुपये) सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :

स्वीकृत।

निदेशानुसार कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या- 6329 दिनांक: 20.12.2013 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य बीज निगम को बीज भंडारण तथा प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए 5422 लाख रुपये (चौवन करोड़ बाईस लाख रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से अनुसूचित जाति के लिए तत्काल 41 लाख रुपये (इकतालीस लाख रुपये) सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. निकासी हेतु स्वीकृत 41 लाख रुपये का व्यय मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मांग संख्या-01 उपशीर्ष-0116 बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम विपत्र कोड P2401007890116 राज्य योजना स्कीम कोड- AGR 5017 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा में वर्ष 2014-15 के मूल बजट में उपबंधित 60 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। सहायक अनुदान के रूप में व्यय के लिए स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०-42 पर की जायेगी। स्वीकृत सहायक अनुदान बिहार राज्य बीज निगम को पूर्व प्राप्ति रसीद के अनुसार विमुक्त की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा इस योजना के लिए अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक होंगे।

18

18

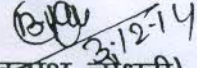
4. कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या- 6329 दिनांक: 20.12.2013 द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

5. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या-पी०पी०एम०-190/2006 के पृ०सं०- 106/टि. पर दिनांक- 10.12.2013 को प्राप्त है।

6. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 9/उपा/बीज(विविध)-32/2014 के पृ०सं०- 04 /टि. पर दिनांक- 01.12.14 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विश्वनाथ चौधरी)

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 5509

/क०, पटना, दिनांक 05-12-2014

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

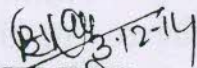

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 5509

/क०, पटना, दिनांक 05-12-2014

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 5509

/क०, पटना, दिनांक 05-12-2014

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

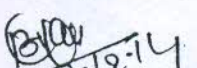

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 5509

/क०, पटना, दिनांक 05-12-2014

प्रतिलिपि- कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/ संबंधित उप कृषि निदेशक/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/ मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।